



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ. ग.)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)

Tel: 07752-260000, 260003, Fax: 07752-260154

Website: www.ggu.ac.in Email:

क्रमांक 207 / परीक्षा / यू.टी.डी. / 2018

बिलासपुर, दिनांक 23-07-2018

कार्यालयीन परिपत्र

विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं (अभियांत्रिकी एवं तकनीकी अध्ययनशाला को छोड़कर) में संचालित स्नातक / स्नातकोत्तर / पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों के सम सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षा प्रणाली की द्वितीय प्रयास (एटीकेटी) परीक्षा सत्र 2017-18, जो दिनांक 26/07/2018 से आयोजित होगी, इन परीक्षाओं के संचालन हेतु वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष एवं केन्द्राध्यक्ष की अनुशंसानुसार फार्मसी भवन के लिये निम्नानुसार सहायक केन्द्राध्यक्षों, तृतीय वर्ग एवं एम.टी.एस. कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है:-

परीक्षा केन्द्र:- फार्मसी भवन

- 1) वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष- प्रो. अनुपमा सक्सेना, राजनीति विभाग
- 2) केन्द्राध्यक्ष- डॉ. के.पी. नामदेव- सह प्राध्यापक, फार्मसी विभाग
- 3) सहायक केन्द्राध्यक्ष:-
 1. डॉ. मनोज कुमार- सहा. प्राध्यापक फार्मसी विभाग
 2. डॉ. अर्जुन पात्रा- सहा. प्राध्यापक फार्मसी विभाग
 3. डॉ. विवेकानन्द - सहा. प्राध्यापक, फार्मसी विभाग
- 4) तृतीय वर्ग कर्मचारी-
 1. श्री राजेश राठौर- भौतिकी विभाग
 2. श्री प्रशांत मिश्रा-आई.क्यू.ए.सी
 3. श्री प्रदीप चन्द्राकर-वाणिज्य विभाग
 4. श्री मनोज सिंह-इतिहास विभाग
- 5) एम.टी.एस.-
 1. श्री नित्यानंद सिंह-फार्मसी विभाग
 2. श्री मोतीलाल सोनी-ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग
 3. श्री कृपाराम भैना- हिन्दी विभाग
 4. श्री देवी प्रसाद मिरी- वानिकी विभाग
 5. श्री लव कुमार चौबे- विधि विभाग

टीप:- केन्द्राध्यक्ष आवश्यकतानुसार परीक्षा कार्य में वि.वि. शिक्षण विभाग में कार्यरत तृतीय वर्ग एवं एम.टी.एस. कर्मचारियों को संविलियन कर सकते हैं।

परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)

बिलासपुर, दिनांक 23-07-2018

पू०क्रमांक 208 / परीक्षा / यू.टी.डी. / 2018,
प्रतिलिपि :-

1. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक/शीघ्रलेखक की ओर मा.कुलपति/कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित ।
2. वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष-प्रो. अनुपमा सक्सेना, राजनीति विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. डॉ. के. पी. नामदेव, सह प्राध्यापक, फार्मसी विभाग एवं संबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त विभागाध्यक्ष की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. सहायक कुलसचिव- गोपनीय/भण्डार/वित्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. मीडिया प्रभारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समन्वयक वेब पटल को उक्त कार्यालयीन परिपत्र वेब साईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप-कुलसचिव (परीक्षा)
23.7.018